THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF EDUCATION AND CULTURE AND SOCIAL WELFARE (SHRI P.K. THUNGON) : (a) to (d). Through newspaper reports and representations received, the Government are aware that there is a widespread piracy of books, sound recordings and films in the country and its harmful consequences in regard to authors, publishers and the Government. Piracy has become a global problem due to the rapid advance of technology and is particularly acute in respect of sound and video cassettes. Under the provisions of Indian Copyright Act, 1957, copyright is a proprietary right and it is for the owners of copyright to institute civil or criminal proceedings in the appropriate court of law for enforcing their rights. As piracy involves unauthorised reproduction of the works protected by copyright, and is a clandestine activity, an assessment cannot be made of the loss of revenue to Government. In so far as the question of action by Government is concerned, the problem is being studied in its various aspects in consultation with the concerned Government departments from the standpoint of legislative and enforcement measures necessary for combating piracy.

सी० जी० एच० एस० के लिए उन औषधियों की खरीद जिनका प्रभाव समाप्त होने की तारीख बहुत निकट है

5093. **श्री निहाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के महानिदेशक ने सी० जी० एच० एस० डिस्पेंसरियों के लिए उन औषधियों की खरीद की है जिनका प्रभाव 3 या 4 मास में समाप्त होने वाला है ;

(ख) क्या अगस्त-सितम्बर, 1983 में कुछ संसद सदस्यों ने सुझाव दिया था कि महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा के स्टोर में पड़ी लाखों रुपये की उन औषधियों को जब्त किया जाए जिनका प्रभाव समाप्त होने की तारीख निकल चुकी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) नहीं ।

(ख) सरकार को ऐसे सुझाव की कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुये ये प्रश्न नहीं उठते ।

दीन दयाल अस्पताल, पश्चिम दिल्ली में प्रसव कक्ष सुविधाओं की अनुपलब्धता

5094. **श्री अनवार अहमद** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी दिल्ली में हरिनगर "दीन दयाल अस्पताल" नामक अस्पताल चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस अस्पताल में हाल ही में "आपातकाल" सेवा भी आरम्भ की गई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इसमें प्रसव कक्ष सुविधा भी उपलब्ध है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं और वहां पर यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) हां ।

(ख) नहीं ।